# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

**पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 11/2024** **दिनांक 01/12/2024**

**सेवा में,**

**अपर पुलिस महानिदेशक,**

**वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।**

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 30.11.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

**01. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '**

दिनांक 30.11.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना रेवतीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-321/2016 धारा 363/366/376/328/120बी/506 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्तगण 1. अनिल यादव पुत्र बुट्टन यादव निवासी गोपालपुर थाना रेवतीपुर 2. राजेश यादव पुत्र रामदयाल निवासी साईवबांध थाना रेवतीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 363 भादवि में प्रत्येक को 04 वर्ष का कारावास तथा 5000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में प्रत्येक को 05 वर्ष का कारावास व 5000/-रुपये के अर्थदण्ड, धारा 4 पाक्सो एक्ट में प्रत्येक को 10 वर्ष का कारावास व 10,000/-रुपये के अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में प्रत्येक को 01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया।

**02. थाना बरेसर पुलिस टीम द्वारा 13 राशि गोवंश को किया गया बरामद।**

अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना बरेसर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 168/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बरेसर जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित बरामद शुदा 13 राशि गोवंश मय आयशर डीसीएम वाहन सं0 UP 42 AT 3829 के अभियुक्तगण 1.वाहन संख्या UP 42 AT 3829 के मालिक अजमेरी पुत्र श्री असरफ नि0 ग्राम मालिकजादा रुदौली फैजाबाद जनपद अयोध्या 2.ड्राइवर नाम व पता अज्ञात 3. खलासी नाम व पता अज्ञात को दिनांक 29.11.2024 को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे किलोमीटर संख्या 323.3 थाना बरेसर जनपद गाजीपुर से बरामद किया गया।

**बरामदगी –**

**1**. 01 अदद आयशर डीसीएम वाहन संख्या UP 42 AT 3829

**02.** 13 राशि जीवित गौवंश

**03**. दिनांक 30/11/2024 को यातायात माह नवंबर 2024 के समापन समारोह के अवसर पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर द्वारा विकास भवन चौराहे से NCC एवं NSS व आदर्श बौद्ध इन्टर कालेज के बच्चों के साथ रैली निकाली गई। पी.जी. कालेज चौराहे पर यमराज(वेशभूषा) और सिंगर राकेश कुमार द्वारा नुक्कड नाटक का मंचन किया गया जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाकर यातायात के नियमों के पालन हेतु आमजनमानस को जागरूक करना था। पुलिस बल द्वारा स्कूली बच्चों के साथ रैली निकालकर जागरूकता हेतु सभी को वाहन चलते समय हेलमेट/सीट बेल्ट लगाना, शराब/मादक पदार्थों का सेवन करके वाहन न चलाना, दोपहिया वाहन पर तीन सवारी न चलना आदि ट्रैफिक नियमों का पालन करने की जनमानस से अपील की गई तत्पश्चात पुलिस लाइन सभागार गाजीपुर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं जिला जज MACT श्रीमान् संजय हरी शुक्ला द्वारा सभी को संबोधित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर/यातायात श्रीमान ज्ञानेन्द्र नाथ प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमान अतुल कुमार सोनकर, क्षेत्राधिकार नगर/यातायात श्रीमान सुधाकर पाण्डेय,कोतवाल नगर श्रीमान दीनदयाल पाण्डेय व यातायात प्रभारी मनीष कुमार त्रिपाठी व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

**पुलिस अधीक्षक**
**गाजीपुर**